

मध्यप्रदेश शासन  
राजस्व विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

:: अधिसूचना ::

कमांक एफ 2-8/2019/सात/शा.7/190


भोपाल, दिनांक 18 मार्च, 2021

म.प्र. राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड 02 कमांक 01 के परिशिष्ट 01 में उल्लेखित मुख्य शीर्ष "स" अंतर्गत शीर्ष- 153 के पश्चात् निम्नानुसार शीर्ष अन्तःस्थापित किया जाता है :-

| शीर्ष क्रमांक | मामलों का विवरण                                    | अधिनियम                                             | धारा | रखने की अवधि |
|---------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|--------------|
| (1)           | (2)                                                | (3)                                                 | (4)  | (5)          |
| 155           | निक्षेपों की वापसी में व्यतिक्रम होने पर कार्यवाही | म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 | 4    | 8 वर्ष       |

टिप्पणी.- मुख्य शीर्ष "स" के पश्चात् मुख्य शीर्ष "ड" प्रमाण पत्र संबंधी में शीर्ष कमांक 154 पूर्व से होने से मुख्य शीर्ष "स" में शीर्ष कमांक 153 के पश्चात् शीर्ष कमांक 155 जोड़ा गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,


  
(मुजीबुर्रहमान खान)  
उप सचिव 18/3/2021

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 18 मार्च, 2021

पृ.कमांक एफ 2-8/2019/सात/शा.7/191  
प्रतिलिपि:

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल,
2. निज सचिव, समस्त माननीय मंत्रीगण/मान. राज्य मंत्रीगण मध्यप्रदेश,
3. अपर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, वल्लभ भवन, भोपाल,
4. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश,
5. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
6. शासन के समस्त विभाग,
7. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश,
8. प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश, कृपया अधिसूचना को मध्यप्रदेश पोर्टल पर दर्ज कराये,
9. आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
10. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
11. सदस्य सचिव, राज्य भूमि सुधार आयोग, मध्यप्रदेश,
12. समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश,
13. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश,
14. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया सूचना को मध्यप्रदेश राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कर, प्रकाशन की 500 प्रतियां इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें।
15. संचालक, सूचना एवं प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

  
उप सचिव, 18/3/2021  
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

## राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ-2-8-2019-सात-शा.7-190

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2021

म.प्र. राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड 02 क्रमांक 01 के परिशिष्ट 01 में उल्लेखित मुख्य शीर्ष "स" अंतर्गत शीर्ष- 153 के पश्चात् निम्नानुसार शीर्ष अन्तःस्थापित किया जाता है :-

| शीर्ष क्रमांक | मामलों का विवरण                                    | अधिनियम                                             | धारा | रखने की अवधि |
|---------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|--------------|
| (1)           | (2)                                                | (3)                                                 | (4)  | (5)          |
| 155           | निक्षेपों की वापसी में व्यतिक्रम होने पर कार्यवाही | म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000 | 4    | 8 वर्ष       |

टिप्पणी.- मुख्य शीर्ष "स" के पश्चात् मुख्य शीर्ष "ड" प्रमाण पत्र संबंधी में शीर्ष क्रमांक 154 पूर्व से होने से मुख्य शीर्ष "स" में शीर्ष क्रमांक 153 के पश्चात् शीर्ष क्रमांक 155 जोड़ा गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मुजीबुर्हमान खान, उपसचिव.